विशेष वाहक/फैक्स

यातायात पुलिस निदेशालय, उ0प्र0, सी-231, सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ

पत्र संख्या:डीटी-612-2005/ 110 दिनांक: लखनऊ अप्रैल 23 ,2014

सेवा में,

समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक
उत्तर प्रदेश

कृपया पुलिस अधीक्षक, कानून एवं व्यवस्था, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्याः डीजी-आठ-98-(विविध)-2014(Save Life) दिनांक 08-04-2014 के साथ प्राप्त श्री पीयूष तिवारी, फाउण्डर एवं मैनेजिंग ट्रस्टी, सेव लाइफ फाउण्डेशन, नई दिल्ली के पत्र दिनांकित 26-03-2014 एवं भारत सरकार की अधिसूचना संख्याः 108 दिनांकित 05-03-2014 द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1989 को और संशोधित किये जाने के लिए नियम बनाये जाने विषयक है।

2- प्रायः देखने में आ रहा है कि कतिपय वाहन चालकों द्वारा स्पष्ट प्राविधानों के बावजूद लम्बी सरिया, त्रिभुजाकार लोहे की राड, लोहे की स्ट्रिप, लकड़ी के लट्ठे तथा स्ट्रिप का ट्रक, टैम्पो, बैलगाड़ी एवं ट्रैक्टर द्वारा राजकीय राजमार्गो पर बिना सुरक्षा उपायों को अपनाये हुए इस तरह का आवागमन किया जा रहा है, जिससे जन-सामान्य की सड़क दुर्घटनाओं में गम्भीर रूप से घायल अथवा मृत होने की सम्भावना बनी हुई है। इस प्रकृति के आवागमन से हजारों दुर्घटनाएं प्रत्येक वर्ष भारत में होती है। दुर्घटनाओं को रोकथाम किये जाने हेतु **"सेव इण्डिया फाउण्डेशन"** द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में जनहित याचिका दायर की गयी है।

3- अतएव अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत की गयी अधिसूचना संख्याः 108 दिनांक 05-03-2014 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि इसकी प्रतियॉ अपने स्तर से अधीनस्थ परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहनिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों को उपलब्ध कराकर अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि

(राजेश प्रताप सिंह)
अपर पुलिस महानिदेशक/निदेशक
यातायात, उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, कानून एवं व्यवस्था, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को पत्र संख्याः डीजी-आठ-98-(विविध)-2014(Save Life) दिनांक 08-04-2014 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।